न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1194 / 2024

अनवान : –

1. पुरजंय पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये कुदरती पिता विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. मानविक पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये कुदरती पिता विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

–– **वादीगण**

बनाम

1. राजाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. रेणु पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 08/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 239 / 200 की कुल 7.8250 हैक्ट भूमि राजाराम पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजाराम पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण का पिता है। वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है इसलिए जरिये संरक्षक पिता विजय कुमार की तरफ से वादी प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का दादा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता [illegible] है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी [illegible] के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि [illegible] है। जिसकी वादीगण [illegible]यालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय़ दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजाराम पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण का पिता है। वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है इसलिए जरिये संरक्षक पिता विजय कुमार की तरफ से वादी प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का दादा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 जो की वादीगण की बुआ है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की [illegible] मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 239/200 की कुल 7.8250 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजाराम पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण का पिता है। वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है इसलिए जरिये संरक्षक पिता विजय कुमार की तरफ से वादी प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का दादा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 जो की वादीगण की बुआ है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 239/200 की कुल 7.8250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1194 / 2024

अनवान : –

1. पुरजंय पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये कुदरती पिता विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. मानविक पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये कुदरती पिता विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

–– **वादीगण**

बनाम

1. राजाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. रेणु पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1194 सन 2024 निर्णय दिनांक 08/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 239 / 200 की कुल 7.8250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर